



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2017/आषाढ 16, 1939

No. 269]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2017/ ASADHA 16, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(मसाला बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जून, 2017

फा. सं. 5/7/2014-ई पी (ईपी एग्री-V)/बागान घ.—मसाला बोर्ड, मसाला बोर्ड नियम, 1987 के नियम 11 और नियम 13 के साथ पठित मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 5/7/2014 ईपी (एग्री-V)/बागान-घ, तारीख 5 जून, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड - 4 में प्रकाशित मसाला बोर्ड के आदेश में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, उपबंध में, मसाला विकास अभिकरण शीर्षक के नीचे सारणी में; क्रम सं.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“11,	वारंगल	वारंगल मसाला विकास अभिकरण	मिर्च, हल्दी और इमली	मसाला बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित तेलंगाना और आसपास के क्षेत्र में अन्य मसाला उत्पादक जिले।”
------	--------	------------------------------	-------------------------	--

डॉ. ए. जयतिलक, अध्यक्ष

[विज्ञापन—III/4/असा./132/17]

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खण्ड - 4 में अधिसूचित संख्यांक फा. सं. 5/7/2014-ई पी(एग्री-V)/बागान-घ, तारीख 5 जून, 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(SPICES BOARD)

ORDER

New Delhi, the 14th June, 2017

F. No. 5/7/2014-EP (EPAgri-V)/Plant-D.—In exercise of the powers conferred under section 5 of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), read with Rules 11 and 13 of the Spices Board Rules, 1987, the Spices Board hereby makes the following Order to amend the Order of the Spices Board, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 5/7/2014-EP (Agri.V)/Plant-D, dated the 5th June, 2015, namely:—

In the said Order, in the Annexure, in the table below the heading Spice Development Agencies, after serial No.10 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:—

“11.	Warangal	Warangal Spice Development Agency	Chilli, Turmeric and Tamarind	Telangana and other spice growing districts in the surrounding region as notified by the Spices Board.”
------	----------	-----------------------------------	-------------------------------	---

Dr A. JAYATHILAK, Chairman,

[ADVT.-III/4/Exty./132/17]

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, vide notification number F. No. 5/7/2014-EP(Agri.V)/Plant D, dated the 5th June, 2015.